सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

7/11/22 - पत्रावली नाक पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित बहस सुनी गई मौके पर विवादग्रस्त भूमि की स्थिति को मद्दनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 14/01/22 मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट (Confirm) की जाती है पत्रावली निकाल दफ्तर होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
SDO (गुड़ामालानी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:31 IST
Reason: SelfAttested